न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – राम निवास मेहता

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
91/2023	21.9.2023	10/11/2025

हरिशंकर पुत्र छितरलाल जाति कीर निवासी मदनपुरा खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादी

निर्णय
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट 1955

संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि वादी ग्राम मदनपुरा खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.का मूल निवासी है जो खातौली मे मदनपुरा में रहकर अपना गुजर बसर करता है।

यह कि वादी सयुक्त खाते एवं कब्जे कास्त कि आराजी में एक खातेदार के रूप में नाम दर्ज है जो वाके माल खातौली पटवार हल्का खातौली भु0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. संवत 2074 से 2077 खाता संख्या नया 478 पुराना 126 के ख.नं 1187 रकबा 0.41 हैं. में 1/16 हिस्सा वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है कुल किता 1 का कुल रकबा 0.41है. आराजी खातेदारान कि सयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रहीं है।

यह कि सयुक्त खातेदारी कि आराजी में वादी शंकरलाल पुत्र छीतर दर्ज है क्यों कि वादी से गॉव शंकरलाल के नाम से जानते है इस लिहाज से सब वादी को बचपन से शंकरलाल बोलते थे इसलिए रेवेन्यु रेकार्ड में वादी का नाम भी रेवेन्यु अधिकारीयो ने जमाबन्दी में शंकरलाल नाम दर्ज कर दिया जबकी वादी का नाम हरिशंकर है।

यह कि वादी का जो वास्तविक नाम है उसको रेवेन्यु रेकार्ड मे दर्ज नही किया और वादी से बिना पुछे ही रेवेन्यु रेकार्ड मे वादी का नाम शंकरलाल पुत्र छीतर दर्ज कर दिया तथा दस्तावेज में वादी का जो नाम है उनको राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही किया और बोलते नाम को गॉव में पुछताछ कर रेवेन्यु अधिकारीयो ने रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज कर दिया वादी से राजकीय दस्तावेज नही लिए अगर वादी के दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि पहचान के दस्तावेज लेकर नाम दर्ज किये जाते तो उक्त त्रुटी नही

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

होती इस प्रकार वादी का राजकीय दस्तावेज में नाम हरिशंकर है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में शंकरलाल दर्ज कर दिया ।

यह कि वादी को उक्त दोनो नाम से पुकारा जाता है लेकिन वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड वोटिंग लिस्ट जोबकार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी पहचान पत्र जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में हरिशंकर है ।

यह कि वादी के समस्त दस्तावेजो में नाम हरिशंकर पुत्र छितरलाल होने से व जमाबन्दी में अन्य नाम शंकरलाल पुत्र छितर होने से वादी को किसी भी राजकीय संस्थान में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है सरकारी एवं अर्द सरकारी संस्थाओं में ऋण आदि प्राप्त नहीं कर सकता और विशेष तो वादी को प्रधान मंत्री सम्मान निधि प्राप्त नही होती है क्योंकी सरकारी पेंशन व अन्य सरकारी सहायता से वादी का गुजर बसर होता है और कई सारी अन्य परेशानियों का सामना भी करना पडता है।

यह कि उक्त भूमि वादी कि पुस्तैनी है जिसके उपयोग उपभोग से वादी एंव सयुक्त परिवार के सदस्य करते आ रहे है इसलिए वर्तमान में तमाम संस्थानो में उपयोग के लिये उक्त वादी के नाम का सहीं होना अति आवश्यक है उक्त नाम वादी के पिता छितरलाल कि मृत्यु हो जाने से जरिये नामान्तकरण नाम दर्ज हुआ है उक्त नामान्तकरण फौती नामान्तकरण है जो विरासतन रेवेन्यु रेकार्ड व रकबा के अनुसार सही है और नामान्तकरण में भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद नहीं है मात्र लैण्ड होण्डर से रिलिफ भूमि के रेकार्ड मे नाम दुरस्त होने से सम्बन्धित प्रार्थना वाद पत्र में चाहीं गई है।

अतः वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के सयुक्त खाते कि आराजी एवं जमाबन्दी वाके माल खातौली पटवार हल्का खातौली भु0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. संवत 2074 से 2077 खाता संख्या नया 478 पुराना 126 के ख.नं. 1187 रकबा 0.41 हैं. में 1/16 हिस्सा वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है कुल किता 1 का कुल रकबा 0.41 हैं0 आराजी खातेदारान कि सयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि एवं रेवेन्यु रेकार्ड में वादी का नाम वाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजो के अनसार एवं रेवेन्यु विभाग से वाद से पुर्व के दस्तावेजो के अनुसार वादी का नाम हरिशंकर है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में शंकरलाल दर्ज कर दिया वादी का नाम हरिशंकर है इस प्रकार से वादी का नाम हरिशंकर पुत्र छितरलाल दुरस्त कर रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार की तलवी जरिये सम्मन करवायी गई। दिनांक 25.10.2024 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार पेश। जवाब सरकार में सरकार पैरोकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार में पटवारी खातौली की रिपोर्ट के आधार पर शंकरलाल व हरिशंकर दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, ई–श्रम कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में वादी का नाम हरिशंकर पुत्र छीतरलाल दर्ज है। पत्रावली में प्रतिवादी के प्रस्तुत जवाव सरकार में जवाव सरकार में सरकार पैरोकार तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

पीपल्दा द्वारा वादी व जमाबंदी में दर्ज नाम एक ही होना बताया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर जवाब सरकार में सरकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा वादी व जमाबंदी में दर्ज नाम एक ही होना बताया गया है अतः वादी को हरिशंकर पुत्र छीतरलाल के नाम से खातेदार घोषित कर दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके माल खातौली पटवार हल्का खातौली भु0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. संवत 2074 से 2077 खाता संख्या नया 478 पुराना 126 के ख.नं. 1187 रकबा 0.41 है. में 1/16 हिस्सा वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है कुल किता 1 का कुल रकबा 0.41है. वादी का नाम शंकरलाल से दुरस्त कर हरिशंकर पुत्र छीतरलाल के नाम से खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/1/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता (आर.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
94 / 2023	21.9.2023	....

हरिशकर पुत्र छितरलाल जाति किर निवासी मदनपुरा खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादी

निर्णय
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री एस0 एच0 मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके माल खातौली पटवार हल्का खातौली भु0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. संवत 2074 से 2077 खाता संख्या नया 478 पुराना 126 के ख.नं. 1187 रकबा 0.41 है. में 1/16 हिस्सा वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है कुल किता 1 का कुल रकबा 0.41है. वादी का नाम शंकरलाल से दुरस्त कर हरिशंकर पुत्र छीतरलाल के नाम से खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादीकम 9 को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा